न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नगर (डीग) राज0

पीठासीन अधिकारी – दुर्गा प्रसाद मीना (आर.ए.एस.)

वाद संख्या :– 27/2011 तारीख दायरा:–09.02.2011

जुगल पुत्र स्व0 मूला जाति गुर्जर निवासी ग्राम चकचेलुआ तहसील नगर जिला डीग। (मृतक)

1/1. राधेलाल
1/2. रामगोपाल
1/3. हरवीर
1/4. रामहंस
1/5. महावीर
1/6. रामअवतार
} पिस0 जुगल जातियान गुर्जर निवासी ग्राम चकचेलुआ तहसील नगर जिला डीग।

1/7. हरवत पुत्री स्व जुगल पत्नि श्री नवावसिंह जाति गुर्जर निवासी ग्राम दयापुर तहसील वैर जिला भरतपुर।

1/8. जगवती पुत्री स्व0 जुगल पत्नि प्रेम जाति गुर्जर निवासी ग्राम दयापुर तहसील वैर जिला भरतपुर।

————वादीगण

बनाम

1. भगवानसिंह पुत्र बदले जाति गुर्जर निवासी ग्राम चकचेलुआ तहसील नगर जिला डीग।

———— असल प्रतिवादी

2. अग्गा
3. जतन
} पिस0 स्व0 जग्गी जातियान गुर्जर निवासीयान ग्राम चकचेलुआ तहसील नगर जिला डीग।

4. भरतू पुत्र स्व0 जग्गी जातियान गुर्जर निवासीयान ग्राम चकचेलुआ तहसील नगर जिला डीग। (मृतक)

4/1. मुस0 इन्द्रा धर्मपत्नि स्व0 श्री भरतू
4/2. जयप्रकाश पुत्र स्व0 श्री भरतू
जातियान गुर्जर निवासी ग्राम चकचेलूआ तहसील नगर जिला डीग।
4/3. अनीता पुत्री स्व0 श्री भरतू पत्नि गजेन्द्र जाति गुर्जर निवासी तालिमपुर तहसील बयाना जिला भरतपुर।

5. खुण्डे उर्फ जितेन्द्र उर्फ इतवारी (मृतक)
5/1. श्रीमती गुड्डी धर्मपत्नि स्व0 इतवारी उर्फ जितेन्द्र उर्फ खुण्डे
5/2. बबीता पुत्री स्व0 श्री स्व0 इतवारी उर्फ जितेन्द्र उर्फ खुण्डे
5/3. राजवीर
5/4. जयवीर
} पिस0 स्व0 इतवारी उर्फ जितेन्द्र उर्फ खुण्डे नाबालिगान वविलायत वरफाकत माता खुद प्राकृतिक संरक्षक गुड्डी
जातियान गुर्जर निवासी ग्राम चकचेलुआ तहसील नगर जिला डीग।

6. दयाराम पुत्र स्व0 श्री जग्गी जाति गुर्जर निवासी ग्राम चकचेलुआ तहसील नगर जिला डीग।

———————फौरमल प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88, 89 आर.टी.एक्ट.

उपस्थित:–

1. अधिवक्ता श्री दिनेश चंद गुप्ता वादीगण।
2. अधिवक्ता श्री ओमहरी प्रतिवादीसंख्या 01
3. अधिवक्ता श्री मुबीन खान प्रतिवादी संख्या 2,3,5।

Signature Not Verified
Digitally signed by Durga Prasad Meena
Date: 2025.11.06 15:32:37 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय दिनांक:–18.12.2024

वादीगण द्वारा यह वाद इस न्यायालय मे इस आशय का संस्थित किया है कि आराजी खसरा नम्बर 132/0.16, 133/0.28, 134/0.01 बाके ग्राम चकचेलुआ तहसील नगर मे स्थित है, जिसके

उपखण्ड अधिकारी (डीग) राज0

सबूत मे नकल जमांबदी संवत 2063-2066 पेश किया है। उक्त आराजी खसरा नम्बर का साविक खसरा नम्बर 68 रकवा 53 बिस्वा बाके ग्राम चकचेलुआ मे स्थित है। साविक खसरा नम्बर 68 मे से 1 बीघा 6 बिस्वा रकबा संबत 2003 मे मूला पिता वादी एंव बाबा फौरमल प्रतिवादीगण के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है, जिस पर मृतक मूला अपने जीवन पर्यन्त वैहिसयत मालिक बतौर खातेदार काश्तकार काबिज रहा और उसके मरने के बाद वादी एंव वादी का सगा भाई मृतक जग्गी पिता फौरमल प्रतिवादीगण बहिस्सा बराबर काबिज रहे एंव सगे भाई जग्गी के फौत होने के बाद उसके वारिसान उसके निस्फ हिस्से पर बहिस्सा बराबर काबिज है वादी तथा फौरमल प्रतिवादीगण की आराजी से असल प्रतिवादी का कोई संबंध व सरोकार नही है। लेकिन खिलाफ मौका व कानून वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड मे इन्द्राज दर्ज है जो काबिल कलमजन योग्य है।

साविक खसरा नं0 68 का रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा जो वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड मे वादी एंव फौरमल प्रतिवादीगण के नाम दर्ज है उसको वादी तथा वादी के सगे भाई जग्गी ने जरिये रजिस्ट्रर्ड बयनामा दिनांक 21.04.1963 को क्रय कर मौके पर दखल व कब्जा प्राप्त किया जिसकी ताईद भी असल बयनामा से होती है जो सलंग्न है। इस प्रकार वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड मे वादी एंव फौरमल प्रतिवादीगण के नाम कुल रकबा 2 बीघा 13 बिस्वा अर्थात 0.42 ऐयर होना चाहिये जो कि राजस्व कर्मचारियो ने विधिक त्रुटि की है। इसलिये वादी एंव फौरमल प्रतिवादीगण के नाम मुताविक साविक रिकॉर्ड एंव बयनामा दिनांक 21.04.1963 के अनुरूप वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड मे 0.42 ऐयर रकवा पर इन्द्राज करते हुये असल प्रतिवादी के नाम हो रही प्रविष्टियो को कलमजन किया जाना न्यायोचित है। विनाय मुखासमत वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड की नकल दिनांक 23.12.2010 को हल्का पटवारी से प्राप्त कर एंव साविक रिकॉर्ड इक्कठा कर नये व पुराने रिकॉर्ड का मिलान करा गलत प्रविष्टियो का ज्ञान होने से पैदा होकर वादी को हक दावी हॉसिल हुआ है, दावा अन्दर म्याद पेश है अत दावा वादी विरूद्व असल प्रतिवादी संख्या 1 इस आशय का डिक्री डिक्लेरेशन किया जावे कि वर्तमान खसरा नं0 132/0.16, 133/0.28, 134/0.01 बाके ग्राम चकचेलुआ तहसील नगर पर हो रहे इन्द्राजात प्रतिवादी असल के नाम को कलमजन करते हुये आराजी मुत0 के 0.42 ऐयर रकबा पर मुताविक साविक रिकॉर्ड व पंजीबंद्व बयनामा के आधार पर वादी का निस्फ हिस्सा तथा फौरमल प्रतिवादीगण का बहिस्सा बराबर हिस्सा दर्ज हो।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 01 हाजिर अदालत होकर जवाब दावा पेश किया तथा प्रतिवादी संख्या 2, 3, 5 ने दावा वादी स्वीकार किया, तथा प्रतिवादी संख्या 04 व 06 के विरूद्व एकतरफा कार्यवाही की गई।

प्रतिवादी संख्या 01 ने इस आशय का जवाब दावा पेश किया है कि वादी ने दावा डिकलेरेशन का पेश किया है जो गलत तथ्यो के साथ पेश किया है क्योंकि वादी ने अपने पिता मूला के सभी वारिसान को पार्टी दावा मे नही बनाया है, इसी सूरत मे दावा मेन्टेनेबिल नही है, विवादित आराजी खसरा नं0 132/0.16, 133/0.28, 134/0.01 का 1 बीघा 6 बिस्वा रिकॉर्ड मे खातेदार रामजीलाल, भगवानसिंह पिस0 किसन कौम गुर्जर निवासी ग्राम चकचेलुआ तहसील नगर से बयनामा दिनांक 18.08.1989 को खरीद किया और सम्पूर्ण प्रतिफल अदाकर कब्जा प्रतिवादी संख्या 01 भगवानसिंह पुत्र बदले जाति गुर्जर निवासी ग्राम चकचेलुआ तहसील नगर को सौप दिया और वक्त बयनामा प्रतिवादी असल का कब्जा काश्त चला आ रहा है और आज राजस्व रिकॉर्ड मे असल प्रतिवादी का नाम दर्ज है। वादी ने यह दावा असल प्रतिवादी को महज तंग व परेशान करने की गरज से झुठे तथ्यो

Signature Not Verified
Digitally signed by Durga Prasad Meena
Date: 2025.11.06 16:32:37 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नगर (डीग) राज0

के आधार पर पेश किया है जो काबिल खारिज है। अत दावा वादी मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे। खर्चा मुकदमा वादी से प्रतिवादी असल को दिलाया जावे।

दावा व जवाब दावा के अधार निम्न तनकियात कायम की गई।

1. आया वादीगण वि.आ.ख.नं.132/0.16, 133/0.28, 134/0.01 किता 03 रकबा 0.45 है0 वाके ग्राम चकचेलुआ तहसील नगर मे मुताबिक एंव पंजीबद्व बयनामा के आधार पर 0.42 है0 रकबा पर डिक्री डिक्लेरेशन प्राप्त करने का अधिकारी है?

----जिम्मे वादीगण

2. आयावादी ने अपने पिता मूला के सभी वारिसान को पक्षकार मुकदमा नही बनाया है जिससे दावा काबिल खारिज है?

----जिम्मे प्रतिवादीगण

3. आया प्रतिवादी संख्या 1 वि. आ. पर मुताविक बयनामा 18.08.1989 काबिज काश्त है जिससे दावा काबिल खारिज है?

----जिम्मे प्रतिवादीगण

4. दादरसी?

वकील वादीगण ने अपने वाद पत्र के समर्थन में वादी जुगल पुत्र मूला जाति गुर्जर निवासी चकचेलुआ तहसील नगर का शपथ पत्र pw1, मनोहर पुत्र श्री निहालसिंह जाति गुर्जर निवासी ग्राम चकचेलुआ तहसील नगर का शपथ पत्र pw2, उदयसिंह पुत्र परतीराम जाति गुर्जर निवासी ग्राम चकचेलुआ तहसील नगर का शपथ पत्र pw3 पेश किये तथा नकल जमाबंदी संवत 2063–2066 प्रदर्श पी–1, नकल जमाबंदी संवत 2013–2016 प्रदर्श पी–2, नकल जमांबदी संवत 2003 प्रदर्श पी–3, नकल मिलान क्षेत्रफल सवंत 2030 प्रदर्श पी–4, बयनामा प्रदर्श पी–5 पेश किये है।

वकील प्रतिवादी संख्या 1 ने अपने जवाब दावा के समर्थन मे प्रतिवादी भगवानसिंह पुत्र बदले जाति गुर्जर निवासी ग्राम चकचेलुआ तहसील नगर का शपथ पत्र Dw1, अजमतसिंह पुत्र रामसिंह जाति गुर्जर निवासी ग्राम चकचेलुआ तहसील नगर का शपथ पत्र Dw2, ओमप्रकाश पुत्र अजमतसिंह जाति गुर्जर निवासी ग्राम चकचेलुआ तहसील नगर का शपथ पत्र Dw3, रामकिशन पुत्र लालचन्द जाति गुर्जर निवासी ग्राम चकचेलुआ तहसील नगर का शपथ पत्र Dw4 तथा नकल जमाबंदी संवत 2009 प्रदर्श डी–1, नकल जमाबंदी संवत 2017–2020 प्रदर्श डी–2, नकल जमाबंदी संवत 2017 लगायत 2020 प्रदर्श डी–3, नक्शा प्रदर्श डी–4, नकल जमाबंदी संवत 2025 प्रदर्श डी–5, नकल जमाबंदी संवत 2025 प्रदर्श डी–6, नकल जमाबंदी सवंत 2021–2024 प्रदर्श डी–7, नकल जमाबंदी खेवट खतौनी सवंत 2021–2024 प्रदर्श डी–8, मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श डी–9, नकल अक्स सजरा प्रदर्श डी–10, नकल बयनामा दिनांक 18.08.1989 प्रदर्श डी–11 पेश किये है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Durga Prasad Meena
Date: 2025.11.06 16:32:37 IST
Reason: SelfAttested

प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा लिखित बहस पेश की गई। जिसके ... संक्षेप मे इस प्रकार से है, वादी द्वारा प्रस्तुत दावा डिकलेरेशन का है जो मिथ्या तथ्यों के ... पेश किया है क्योंकि वादी ने अपने पिता मूला के सभी वारिसान को पार्टी दावा ... इसी सूरत मे दावा मेन्टेनेबिल नही है, विवादित आराजी खसरा नं0 132/0.16, 133/0.28, 134/0.01 का 1 बीघा 6 बिस्वा

उपखण्ड अधिकारी
नगर (डीग) राज0

जुगल बनाम भगवानसिंह मुकदमा संख्या 27/2011

रिकॉर्ड मे खातेदार रामजीलाल, भगवानसिंह पिसा0 किशन कौम गुर्जर निवासी ग्राम चकचेलुआ तहसील नगर से बयनामा दिनांक 18.08.1989 को खरीद किया और सम्पूर्ण प्रतिफल अदाकर कब्जा प्रतिवादी संख्या 01 भगवानसिंह पुत्र बदले जाति गुर्जर निवासी ग्राम चकचेलुआ तहसील नगर को सोप दिया और वक्त बयनामा प्रतिवादी असल का कब्जा काश्त चला आ रहा है और आज राजस्व रिकॉर्ड मे भी असल प्रतिवादी का नाम दर्ज है। वादी ने यह दावा असल प्रतिवादी को महज तंग व परेशान करने की गरज से झुठे तथ्यो के आधार पर पेश किया है जो काबिल खारिज है।

हमने उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी। वकील वादी ने अपने वाद मे वर्णित तथ्यो के अनुसार बहस करते हुये कथन किया कि ग्राम चकचेलुआ के हाल आराजी ख. नं0 132, 133, 134 किता 03 रकबा 0.45 है0 साविक आराजी ख0 नं0 68 का रकबा 53 बिस्वा से बनाम है साविक ख0नं0 68 का रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा को वादी व वादी के सगे भाई जग्गी ने दिनांक 21.04.1963 को जरिये रजिस्ट्रर्ड बयनामा खरीद किया था तथा रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा वादी व वादी के सगे भाई मृतक जग्गी के मृतक पिता मूला के नाम संवत 2003 मे दर्ज रिकॉर्ड है अर्थात साविक ख0नं0 68 का रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा वादी तथा वादी के सगे भाई मृतक जग्गी के पिता मृतक मूला के नाम था जिस पर कानूनी वादी व फौरमल प्रतिवादी के खातेदारी हक अधिकार है। वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड मे वादी व फौरमल प्रतिवादी के नाम कुल रकबा 2 बीघा 13 बिस्वा अर्थात 0.42 है0 दर्ज रिकॉर्ड होना चाहिये था लेकिन राजस्व कर्मचारियो द्वारा विधिक त्रुटि की है, अतः वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज रकबा 0.42 है0 मे असल प्रतिवादी के नाम दर्ज हो रहे इन्द्राज को कलमजन किया जाना न्यायोचित है अत वादी का दावा स्वीकार किया जावे।

प्रतिवादी वकील द्वारा लिखित बहस को मूल बहस मानने का कथन किया।

हमने उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओ की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का समग्र अध्ययन/अवलोकन किया गया। प्रकरण मे तनकीवार निर्णय निम्न प्रकार किया जाता है:-

तनकी संख्या 01:- इस तनकी को साबित करने का भार वादीगण पर है। वादी द्वारा वादपत्र के समर्थन मे प्रस्तुत प्रदर्श व शपथ पत्र का अवलोकन किया। प्रदर्श पी-1 ग्राम चकचेलुआ तहसील नगर जवाबंदी संवत 2063-66 अनुसार आराजी ख0नं0 132/0.16, 133/0.28, 134/0.01 किता 03 रकबा 0.45 है0 की खातेदारी जग्गी जुगल पिसा0 मूला 1 बीघा 7 बिस्वा, भगवानसिंह बल्द बदने 1 बीघा 6 बिस्वा कौम गुर्जर सा0 देह खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है प्रदश पी-4 अनुसार हाल खसरा नं0 साविक ख0 नं0 68 रकबा 2 बीघा 13 बिस्वा से बनना प्रमाणित है, प्रदर्श पी-3 जमाबंदी संवत 2003 मे ख0 नं0 68 मे कैफीयत मे 1 बीघा 6 बिस्वा मूला व 1 बीघा 7 बिस्वा किशन का अकंन है। प्रदर्श पी-2 जमाबंदी संवत 2013-2016 ग्राम चकचेलुआ अनुसार ख0नं0 68 मिन रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा खुदकाश्त मूला व किशन हिस्सेदार व हिस्सा [illegible] है। प्रदर्श पी-5 रजिस्टर्ड बयनामा 22.04.1963 अनुसार देवकरण के वारीसान द्वारा ग्राम चकचेलुआ [illegible] अन्य खसरा नम्बरान के साथ ख0 नं0 68 मिन रकवा 1 बीघा 7 बिस्वा का जग्गी व जुगल [illegible] मूला कौम गुर्जर को बेचान किया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Durga Prasad Meena
Date: 2025.11.06 15:32:37 IST
Reason: SelfAttested

प्रतिवादी वकील द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज प्रदश डी-1 खेवट खतौनी संवत 2009 अनुसार ग्राम चकचेलुआ का आराजी ख0 नं0 68 रकबा 2 बीघा 13 बिस्वा खुदकाश्त मूला व किशन हिस्सेदार

उपखण्ड अधिकारी
नगर (डीग) राज0

वहिस्सा बराबर दर्ज रिकॉर्ड है प्रदर्श डी–2, जमाबंदी सवंत 2017–2020 अनुसार ख0नं0 68 मिन रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा किशन वल्द मनसुखा कौम गुर्जर सा0 देह खातेदार व प्रदर्श डी–3 ख0नं0 68 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा वल्ली व सूरजो व मोहन व महाराज सिंह पिसरान देवकरन वहिस्सा बराबर खातेदार दर्ज है। प्रदर्श डी–5 जमाबंदी संवत 2025, प्रदर्श डी–2 अनुसार ही है। प्रदर्श डी–6 जमाबंदी सवंत 2022–25 अनुसार ग्राम चकचेलुआ के आराजी खसरा नं0 68 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा जग्गी व जुगल पिसरान मूला वहिस्सा बराबर कौम गुर्जर सा0 देह खातेदार मुश्तहरी खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। प्रदर्श डी–7 जमाबंदी सवंत 2021 प्रदर्श डी–2 के अनुसार है प्रदर्श–8 जमाबंदी सवंत 2021 प्रदर्श डी–3 अनुसार है।

उक्त समस्त दस्तावेज के अवलोकन से न्यायालय के समक्ष यह स्पष्ट हुआ कि जमाबंदी सवंत 2003, 2009, 2013, 2017, 2021, 2025 मिलान क्षेत्रफल व खसरा पत्रक सभी मे किशन वल्द मनसुखा का नाम ख0नं0 68 मे लगातार दर्ज रहा है जबकि वादीगण के पिता मूला का नाम प्रस्तुत दस्तावेजात जमाबंदी सवंत 2017–20 व जमाबंदी संवत 2021–24 मे नही है बल्कि वल्ली व सूरजी व मोहन व महाराज सिंह पिसरान देवकरन का नाम बतौर खातेदार ख0नं0 68 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा मे दर्ज है यह नाम कैसे ख0नं0 68 मे दर्ज हुआ इसका वादी के पास कोई जवाब व दस्तावेजी साक्ष्य नही है सवंत 2025 की जमाबंदी मे वादीगण का नाम अंकित है यह कैसे आया इसका भी कोई सन्तोषजनक जवाब नही है यदि यह नाम 22.04.1963 के रजिस्ट्रर्ड विक्रय पत्र से आया है तो स्पष्ट है कि रजिस्ट्रर्ड विक्रय पत्र अनुसार वादीगण का नाम दर्ज हो गया है जहा तक वादीगण के पिता मूला के नाम दर्ज भूमि ख0नं0 68 मे केवल 2009 की जमाबंदी मे किशन के साथ बराबर हिस्सा रहा है उसके बाद कैसे नाम हटा यह वादीगण स्पष्ट नही कर पाये जबकि किशन का नाम लगातार ख0नं0 68 मे दर्ज रहा है तथा प्रतिवादी नं0 1 द्वारा किशन के वारीसान से ही हाल ख0नं0 132, 133, 134 मे से 1 बीघा 6 बिस्वा हिस्सा खरीद किया है, खसरा नं0 68 बाबत मिलान क्षेत्रफल के कॉलम संख्या 24 मे रामजीलाल व भगवान सिंह पि0 किशन हि0 1 बीघा 6 बिस्वा, जग्गी व जुगल पि0 मूला हिस्सा 1 बीघा 7 बिस्वा दर्ज है।

अत उक्त तनकी को वादी रिकॉर्ड से साबित करने मे असफल रहा है अत यह तनकी विरूद्व वादीगण निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 2:– इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादी पर है। यह तनकी वादी ने अपने पिता मूला के सभी वारिसान को पक्षकार मुकदमा नही बनाया है इसके लिये वादीगण एंव प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा ऐसा कोई भी साक्ष्य पेश नही किया गया है अत इस तनकी साबित करने मे वादीगण एंव प्रतिवादी संख्या 01 दोनो ही असफल रहे है।

तनकी संख्या 3:–इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादी पर है। इसके समर्थन मे प्रतिवादी संख्या 1 ने बयनामा दिनांक 18.08.1989 प्रदर्श डी–11 पेश किया है बयनमाा दिनांक 18.08.1989 के अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा हाल खसरा नं0 132, 133, 134 रामजीलाल व भगवानसिंह पिसरान किशन से खरीदा गया है। पत्रावली मे संलग्न खसरा नं0 68 एवं प्रदर्श डी–9 मिलान क्षेत्रफल के कॉलम संख्या 24 मे रामजीलाल व भगवानसिंह पिसरान किशन वहिस्सा बराबर कौम गुर्जर सा0 देह खातेदार 1 बीघा 6 बिस्वा दर्ज है अत स्पष्ट है कि प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा किशन

Signature Not Verified
Digitally signed by Durga Prasad Meena
Date: 2025.11.06 15:32:37 IST
Reason: SelfAttested

पुत्र मनसुखा के वारिसान से ही साविक खसरा नं0 68 से बने हाल खसरा नं0 132, 133, 134 मे से किशन पुत्र मनसुखा का हिस्सा ही खरीदा गया है चुकि तनकी संख्या 1 मे किशन पुत्र मनसुखा के खसरा नं0 68 बाबत लगातार हिस्सा दर्ज रिकार्ड होने का विस्तार से विवेचन किया जा चुका है अत इस तनकी को साबित करने मे प्रतिवादी संख्या 1 सफल रहा है अत यह तनकी प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष मे निर्णित की जाती है।

उपरोक्त विवेचन अनुसार दावा वादीगण साबित करने मे असफल रहे है।

:आदेश:

अत वाद वादीगण साबित न होने के कारण खारिज किया जाता है। इसी प्रकार पर्चा डिक्री जारी हो। निर्णय आज दिनांक 18.12.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

18/12/24

(दुर्गा प्रसाद मीना)R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
नगर (डीग)

उपखण्ड अधिकारी
नगर (डीग) राज०

Signature Not Verified

Digitally signed by Durga Prasad Meena
Date: 2025.11.06 15:32:37 IST
Reason: SelfAttested

जुगल बनाम भगवानसिंह मुकदमा संख्या 27/2011

अन्तिम डिक्री व मुकदमे इब्तादाई
(आर्डर 20, रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नगर (डीग) राज0

पीठासीन अधिकारी – दुर्गा प्रसाद मीना (आर.ए.एस.)

वाद संख्या :– 27/2011 तारीख दायरा:–09.02.2011

जुगल पुत्र स्व0 मूला जाति गुर्जर निवासी ग्राम चकचेलुआ तहसील नगर जिला डीग। (मृतक)

1/1. राधेलाल
1/2. रामगोपाल
1/3. हरवीर
1/4. रामहंस
1/5. महावीर
} पिस0 जुगल जातियान गुर्जर निवासी ग्राम चकचेलुआ तहसील नगर जिला डीग।

1/6. रामअवतार

1/7. हरवत पुत्री स्व जुगल पत्नि श्री नवावसिंह जाति गुर्जर निवासी ग्राम दयापुर तहसील वैर जिला भरतपुर।

1/8. जगवती पुत्री स्व0 जुगल पत्नि प्रेम जाति गुर्जर निवासी ग्राम दयापुर तहसील वैर जिला भरतपुर।

––––वादीगण

बनाम

1. भगवानसिंह पुत्र बदले जाति गुर्जर निवासी ग्राम चकचेलुआ तहसील नगर जिला डीग।

–––– असल प्रतिवादी

2. अग्गा
3. जतन
} पिस0 स्व0 जग्गी जातियान गुर्जर निवासीयान ग्राम चकचेलुआ तहसील नगर जिला डीग।

4. भरतू पुत्र स्व0 जग्गी जातियान गुर्जर निवासीयान ग्राम चकचेलुआ तहसील नगर जिला डीग। (मृतक)

4/1. मुस0 इन्द्रा धर्मपत्नि स्व0 श्री भरतू
4/2. जयप्रकाश पुत्र स्व0 श्री भरतू
जातियान गुर्जर निवासी ग्राम चकचेलूआ तहसील नगर जिला डीग।

4/3. अनीता पुत्री स्व0 श्री भरतू पत्नि गजेन्द्र जाति गुर्जर निवासी तालिमपुर तहसील बयाना जिला भरतपुर।

5. खुण्डे उर्फ जितेन्द्र उर्फ इतवारी (मृतक)

5/1. श्रीमती गुड्डी धर्मपत्नि स्व0 इतवारी उर्फ जितेन्द्र उर्फ खुण्डे
5/2. बबीता पुत्री स्व0 श्री स्व0 इतवारी उर्फ जितेन्द्र उर्फ खुण्डे
5/3. राजवीर
5/4. जयवीर
} पिस0 स्व0 इतवारी उर्फ जितेन्द्र उर्फ खुण्डे नाबालिगान वविलायत वरफाकत माता खुद प्राकृतिक संरक्षक गुड्डी
जातियान गुर्जर निवासी ग्राम चकचेलुआ तहसील नगर जिला डीग।

6. दयाराम पुत्र स्व0 श्री जग्गी जाति गुर्जर निवासी ग्राम चकचेलुआ तहसील नगर जिला डीग।

––––––फौरमल प्रतिवादीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Durga Prasad Meena
Date: 2025.11.06 15:32:37 IST
Reason: Self Attested

उपखण्ड अधिकारी नगर (डीग)

प्रतिवादीगण की आराजी मुतदाविया से असल प्रतिवादी का कोई

जुगल बनाम भगवानसिंह मुकदमा संख्या 27/2011

दावा अन्तर्गत धारा 88, 89 आर.टी.एक्ट.

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–ब–रू हमारे बहाजरी वादी श्री दिनेश चन्द गुप्ता अभिभाषक मिनजानिब मुद्दई श्री ओम हरी, श्री मुबीन खान अभिभाषक मुद्दायलाह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है कि वाद वादीगण साबित न होने के कारण खारिज किया जाता है। डिकी बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 18.12.2024 को जारी की गयी।

18/12/24

(दुर्गा प्रसाद मीना)R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
नगर (डीग)

उपखण्ड अधिकारी
नगर (डीग) राज०

Signature Not Verified

Digitally signed by Durga Prasad Meena
Date: 2025.11.06 15:32:37 IST
Reason: SelfAttested